राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :–प.12(17)पपा/2013 जयपुर, दिनांक :– 3 MAY 2017

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.09.2013, 04.10.2013, 24.01.2014, 11.02.2014, 28.05.2014 एवं आदेश क्रमांक प.12(19)पपा/2013 दिनांक 28.01.2014 द्वारा पशुपालन विभाग में एक वर्ष अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियत पारिश्रमिक पर रखे गये थे। इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.05.2015, 07.10.2014, 18.05.2015 व 30.06.2016 द्वारा उक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों में से तत्समय कार्यरत अधिकारियों की सेवा अवधि क्रमिक रूप से दिनांक 31.05.2016 तक बढ़ायी गयी थी। तत्समय कार्यरत उक्त पशु चिकित्सा अधिकारियों की सेवायें आदेश दिनांक 30.6.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई थी।

एस0बी0सि0रिट याचिका संख्या 8945/2016, डॉ0 मुकेश कुमार माली व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर अन्तरिम आदेश दिनांक 04.08.2016 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका सं.7755/2016, 7694/2016, 8479/2016, 8091/2016, 7990/2016, 8155/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी स्थगन आदेशों की पालना में आवश्यक/अस्थाई आधार(Urgent temporary basis) पर नियत पारिश्रमिक पर रखे गये पशु चिकित्सा अधिकारियों में से कार्यरत अधिकारियों की सेवा अवधि में दिनांक 30.11.2016 तक वृद्धि की गई थी।

उक्त आवश्यक/अस्थाई आधार(Urgent temporary basis) पर नियत पारिश्रमिक पर वर्तमान में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों में से 109 की अस्थायी सेवा अवधि दिनांक 01.12.2016 से एक वर्ष एवं 24 पशु चिकित्सा अधिकारियों की दिनांक 01.06.2016 से एक वर्ष अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति कार्मिक(नियम) विभाग की आई.डी.संख्या 414 दिनांक 05.04.2017 एवं आई.डी.संख्या 425 दिनांक 12.04.2017 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.9(9)वृद्धि/पपा/2014–15/50 दिनांक 03.05.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप सचिव, कार्मिक (क–2/नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित अभ्यर्थी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव